Ms. Geeta Gupta
Principal District & Sessions Judge
Sessions Trial No.- 591 of 2024
Kateya P.S. Case No.-381/2022
State Versus Chandrika Bhagat & Others
Date of Judgment : 12-03-2026

न्यायालय, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गोपालगंज

उपस्थितः– गीता गुप्ता
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
गोपालगंज।
निर्णय दिनांक :–12वीं मार्च, 2026 ई0

सत्र विचारण संख्या–591 / 2024
C.I.S.No. 591/2024
कटेया थाना कांड संख्या–381 / 2022

Informant/ Complainant	राज्य (द्वारा सूचक, विद्या सिंह पुत्र स्व0 नारायण सिंह, साकिन–ग्राम–खालगांव, थाना–कटेया, जिला–गोपालगंज।)
Represented by Prosecution	श्री विजय कुमार वर्मा, विद्वान अपर लोक अभियोजक।
Accused	1. चंद्रिका भगत पुत्र स्व0 नकछेद भगत, आयु 65 वर्ष। 2. रितेश कुमार सिंह पुत्र चंद्रिका भगत, आयु 29 वर्ष 3. सन्नु कुमार सिंह उर्फ सोनू कुमार सिंह पुत्र सुरेन्द्र सिंह, आयु 27 वर्ष। 4. शैलेश कुमार सिंह पुत्र सुरेन्द्र सिंह, आयु 22 वर्ष (साकिन–ग्राम–खालगांव, थाना–कटेया, जिला–गोपालगंज।)
Represented by Defence	श्री नूतन कुमारी, विद्वान अधिवक्ता

Date of Offence	26.08.2022	
Date of FIR	26.08.2022	u/s 341, 323, 307, 504, 506/34 I.P.C.
Date of Charge sheet	09.11.2023	u/s 341, 323, 307, 504, 506/34 I.P.C.
Date of Framing of Charge	21.10.2024	u/s 307/34, 323/34, 341/34, 504/34, 506/34 I.P.C.
Date of commencement of evidence	22.11.2024	
Date of which judgment is reserved	**11.02.2026**	
Date of the judgment	**12.03.2026**	

Accused Details:

Rank of the Accused	Name of Accused	Date of Arrest/ Surrender	Date of Release on Bail	Offences Charged with	Whether Acquitted or Convicted
1	चंद्रिका भगत	12-10-2022	12-10-2022	u/s -307/34, 323/34, 341/34, 504/34, 506/34 I.P.C.	Acquitted
2	रितेश कुमार सिंह				
3	सन्नु कुमार सिंह उर्फ सोनू कुमार सिंह				
4	शैलेश कुमार सिंह				

Ms. Geeta Gupta
Principal District & Sessions Judge
Sessions Trial No.- 591 of 2024
Kateya P.S. Case No.-381/2022
State Versus Chandrika Bhagat & Others
Date of Judgment : 12-03-2026

List of Prosecution Witnesses

Rank	Name	Nature of Evidence
PW-1	सीता राम	Ocular Witness
PW-2	राजू कुमार	Ocular Witness
PW-3	विद्या सिंह	Ocular Witness (सूचक)
PW-4	महेन्द्री देवी	Police Witness (I.O)
PW-5	हरेराम कुमार	Ocular Witness
PW-6	आशुतोष रंजन	Police Witness (I.O)
PW-7	लालबाबू प्रसाद	Police Witness (I.O)
PW-8	डॉ0 ब्रजेश कुमार प्रसाद	Medical Witness

List of Prosecution Exhibits:

Sr. No.	Exhibit Number	Description
1	P1/PW3	फर्दबयान आवेदन पर सूचक का हस्ताक्षर
2	P2/PW6	औपचारिक प्राथमिकी पर थानाध्यक्ष मिथिलेश कुमार पाण्डेय का हस्ताक्षर
3	P3/PW6	प्राथमिकी पर थानाध्यक्ष मिथिलेश कुमार पाण्डेय का पृष्ठांकन
4	P4/PW8	जख्मी महेन्द्री देवी का जख्म प्रतिवेदन
5	P5/PW8	जख्मी नागेन्द्र सिंह का जख्म प्रतिवेदन
6	P6/PW8	जख्मी विद्या सिंह का जख्म प्रतिवेदन

निर्णय

01. इस सत्र विचारण के उपरोक्त अभियुक्तगण का विचारण धारा–307/34, 323/34, 341/34, 504/34, 506/34 भा.दं.सं. के अन्तर्गत कारित अपराध के आरोप के लिए किया जा रहा है।

02. अभियोजन मामले के संक्षिप्त तथ्य यह है, कि दिनांक 26.08.2022 को लगभग 01:00 बजे दिन में वह सूचक अपने खेत पटा रहा था कि उसी समय उसके खेत में पूर्व दिशा की ओर बनी नाली जो कि चंद्रिका भगत के खेत से होकर गयी है। इसी बात को लेकर चंद्रिका भगत, रितेश भगत, सन्नू कुमार सिंह एवं शेलेश कुमार सिंह एकजुट होकर वहां पर आए और गाली–गलौज करते हुए बांस एवं लोहे के रॉड से हमला किया, जिससे सूचक का सिर फट गया। बीच–बचाव करने आए, तो उनके साथ भी आरोपियों ने मारपीट की और उन्हें भी जख्मी कर दिया तथा शोर सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हुए, तब जाकर हमलावर भाग गए।

03. सूचक द्वारा दिये गये लिखित आवेदन के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध कटेया थाना कांड संख्या–381/2022, धारा–341, 323, 307, 504, 506/34 भा.दं.वि. के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज की गयी।

04. प्राथमिकी के आधार पर उपरोक्त अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप–पत्र

संख्या–371/2023 दिनांक 30.10.2023 अन्तर्गत धारा–341, 323, 307, 504, 506/34 भा.दं.वि. के अन्तर्गत दाखिल किया गया। दिनांक 28.11.2023 के आदेश द्वारा आरोप–पत्रित अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा–341, 323, 307, 504, 506/34 भा.दं.वि. के अन्तर्गत अपराध का संज्ञान लिया गया और और वाद को सत्र न्यायालय, गोपालगंज के समक्ष सुपुर्द कर दिया गया। सुपुर्दगी पश्चात् यह वाद दिनांक 23.09.2024 को पंजीबद्ध किया गया तथा आगे की कार्रवाई प्रारंभ की गई।

05. उभय पक्षों को सुनने के पश्चात् दिनांक 21.10.2024 के आदेश द्वारा अभियुक्तगण चंद्रिका भगत, रितेश कुमार सिंह, सन्नु कुमार सिंह उर्फ सोनू कुमार सिंह एवं शैलेश कुमार सिंह के विरुद्ध धारा–307/34, 323/34, 341/34, 504/34, 506/34 भा.दं.वि. के अन्तर्गत आरोप का गठन किया गया। विरचित आरोपों को विचारित अभियुक्तों को हिन्दी में पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया, जिसे सुन समझकर अभियुक्तगण ने अपने विरुद्ध लगाये गये सभी आरोप से इंकार किये तथा विचारण की मांग किये।

06. अभियोजन की ओर से विचारित अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाये गये आरोपों को सिद्ध करने के लिए कुल 08 साक्षियों का परीक्षण कराया गया। अभियोजन साक्षी संख्या–01 सीता राम, अभियोजन साक्षी संख्या–02 राजू कुमार, अभियोजन साक्षी संख्या–03 विद्या सिंह (सूचक), अभियोजन साक्षी संख्या–04 महेन्द्री देवी, अभियोजन साक्षी संख्या–05 हरेराम कुमार, अभियोजन साक्षी संख्या–06 आशुतोष रंजन (अनुसंधानकर्ता), अभियोजन साक्षी संख्या–07 लालबाबू प्रसाद (अनुसंधानकर्ता) एवं अभियोजन साक्षी संख्या–08 डॉ. ब्रजेश कुमार प्रसाद ।

07. अभियोजन साक्ष्य बंद होने के पश्चात अभियुक्तगण का धारा–313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत बयान दर्ज किया गया, जिसमें उन्होंने अपने को निर्दोष बताया और कथन किया कि वह ऐसा कोई अपराध कारित नहीं किये हैं, जैसा, कि प्राथमिकी में एवं आरोप में कहा गया है। उन्होंने अभियोजन की ओर से साक्षियों द्वारा अपने ऊपर लगाये गये आरोपों से इंकार किया एवं स्वयं को निर्दोष बताया।

08. अभियुक्तगण की ओर से भी कोई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया गया।

अवधार्य प्रश्न (Point of determination)

09. अब इस न्यायालय के समक्ष प्रमुख विचारणीय प्रश्न यह है, कि क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाए गये आरोपों को समस्त युक्तियुक्त संदेहों से परे साबित करने में सफल रहा है ?

मन्तव्य (Finding)

10. अभियोजन द्वारा अपने मामले में सिद्ध करने एवं अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाये गये आरोप को साबित करने के लिए कुल–08 साक्षियों का परीक्षण कराया गया है, जो इस प्रकार है–––

11. इस संदर्भ में सर्वप्रथम सूचक का साक्ष्य महत्वपूर्ण है, जिन्हें अभियोजन संख्या–3 के रूप में परीक्षण कराया गया है, ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि घटना लगभग दो वर्ष पूर्व का है। घटना के समय धक्का–मुक्की हुई थी, परंतु उसे कोई चोट नहीं आई थी। आगे साक्षी ने अपने परीक्षण में कहा है कि उसने थाना में लिखित आवेदन प्रस्तुत किया

था, जिस पर उसके हस्ताक्षर अंकित है, जिसे वह पहचानता है। उक्त आवेदन को प्रदर्श–P1/PW के रूप में अंकित किया गया है। आगे कहा कि पुलिस के समक्ष उसका बयान नहीं हुआ था।

अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित करके प्रतिपरीक्षण किया गया जिसमें साक्षी ने इस बात से इंकार करते हुए कथन किया है कि अभियुक्तगण ने खेत पटाने के विवाद को लेकर घटना की तिथि एवं समय पर अभियुक्त चंद्रिका भगत, रितेश कुमार सिंह, सोनू कुमार सिंह, शैलेश कुमार सिंह ने बांस एवं लाठी से मारकर उसे जख्मी किया। उसे बचाने हेतु उसकी पत्नी महिन्द्री देवी तथा पुत्र नागेश्वर सिंह आए, जिन्हें भी अभियुक्तगण द्वारा मारपीट की गई तथा अभियुक्तों के मेल में आकर झूठी गवाही दिया है।

बचावपक्ष द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने अपने साक्ष्य में कहा है कि खेत पटाने को लेकर बाता–बाती हुआ था। उसक पुत्र नागेन्द्र सिंह वर्तमान में विदेश में निवास कर रहा है तथा निकट भविष्य में उसके उपस्थित होने की संभावना नहीं है। आगे कहा कि वह घटनास्थल पर उपस्थित नहीं था, वह अपने बथान पर था।

12. इसी प्रकार अभियोजन साक्षी संख्या–01, 02 एवं 04 ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि घटना के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है और उसका पुलिस में बयान नहीं हुआ था। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित करके प्रतिपरीक्षण किया गया जिसमें साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि वह अभियुक्तों के मेल में आकर झूठी गवाही दिये हैं। बचावपक्ष द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कहा है कि सम्मन पर गवाही देने आया है।

13. अभियोजन साक्षी संख्या–05, 06 व 07 जो इस प्रकरण के अनुसंधानकर्ता हैं, के कथनों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि साक्षी संख्या–5 के मुख्य परीक्षण में कोई ऐसी बात प्रकाश में नहीं आई, जिससे अभियोजन प्रकरण को समर्थन प्राप्त हो सके। बचाव पक्ष द्वारा प्रति–परीक्षण के क्रम में यह कहा गया कि जब से केस का प्रभार मिला, तब से उसने इस केस में कोई विशेष अनुसंधान नहीं किया। इसी प्रकार अभियोजन साक्षी संख्या–06 ने अपने मुख्य परीक्षण के क्रम में साक्षी ने कहा है कि दिनांक 26.08.2022 को एक लिखित आवेदन के आधार पर केस का भार उसे सौंपा गया। उसने घटनास्थल का निरीक्षण किया, गवाहों के बयान लिए और मेडिकल रिपोर्ट लेकर केस डायरी में दर्ज किया। उसके बाद सभी दस्तावेज थाना प्रभारी को सौंप दिए। उसने औपचारिक प्राथमिकी पर थाना प्रभारी मिथिलेश कुमार पाण्डेय के हस्ताक्षर और लिखावट की पहचान की, जिसे प्रदर्श–P2/PW6 एवं प्रदर्श–P3/PW6 के रूप में अंकित किया गया। प्रति–परीक्षण में साक्षी ने कहा है कि घटनास्थल पर पहुंचने का समय याद नहीं है और वहां से कोई हथियार बरामद नहीं हुआ। उसने यह भी कहा कि उसका अनुसंधान त्रुटिपूर्ण नहीं है। इसी प्रकार अभियोजन साक्षी संख्या–07 ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि दिनांक 24.08.2023 को इस केस का अनुसंधाान उसे सौंपा गया। पूर्व डायरी का अवलोकन किया और गवाहों के बयान लिए। अनुसंधानोपरांत उसने संबंधित अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप–पत्र संख्या–371/2023 दिनांक 30.10.2023 को समर्पित किया। बचाव पक्ष की ओर से प्रति–परीक्षण के क्रम में साक्षी ने कहा है कि केस दर्ज होने के लगभग एक साल बान उसे अनुसंधान का भार मिला। उसके पूर्व किसी भी अनुसंधानकर्ता ने महेन्द्री देवी का बयान नहीं लिया था। आगे साक्षी ने कहा कि उसने केवल पूर्व डायरी के आधार पर कार्यवाही किया और वरीय अधिकारी के निर्देश पर आरोप–पत्र समर्पित किया।

14. अभियोजन साक्षी संख्या–8 डॉ0 ब्रजेश कुमार प्रसाद ने अपने मुख्य परीक्षा में कहा है कि On 26.08.20222 I was posted as a Medical Officer at Referral

Hospital, Gopalganj. On the same day at 02.00 PM the doctor Examined Madhuri Devi aged about 55 years and injuries found:-

(i) Lacerated wound on the head (about 3.5 cm length & 0.5 cm width & 0.5 cm depth), (ii) Body ache, (iii) pain and swelling in left elbow Joint. (iv) swelling in left Parietal region.

Opinion- All injuries were simple in nature and caused within 2 hours.

This injury report is in my pen and bear my signature. On his indentification, which is marked as Exhbt – P4/PW8.

The doctor also examined Nagendra singh (20 years):

Injuries: (i) Abrasion on head (ii) Boday ache.

Opinion- All injuries were simple.

This injury report is in my pen and bear my signature. On his indentification, which is marked as Exhbt – P5/PW8.

Vidya Singh (60 years) was examined:

Injuries: (i) Two lacerated wounds on head, (ii) boday ache, (iii) Referred for CT scan (NCCt head), (iv) deffuse cerebral atrophy, (v) soft tissue swelling (vi) No bone injury.

Opinion-Injuries were simple in nature.

This injury report is in my pen and bear my signature. On his indentification, which is marked as Exhbt–P6/PW8.

प्रति–परीक्षण में साक्षी ने कहा है कि laceration, swelling & pain appears may be possible due to fall on hard surface. All these injuries are not sufficient in ordinary course of nature to cause death.

15. बचाव पक्ष (विचारित अभियुक्तगण) की तरफ से कोई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य अपनी प्रतिरक्षा में प्रस्तुत नहीं किया मात्र 313 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत बयान में स्वयं को निर्दोष होने का अभिकथन किया है।

16. बचाव पक्ष (आवेदक अभियुक्तगण) की ओर से मौखिक बहस में कहा कि अभियोजन अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाये गये आरोपों को सिद्ध करने में पूर्णतया असफल रहा है। अभियोजन के किसी भी साक्षी ने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है। अभियोजन अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाये गये आरोपों को अपने साक्ष्य द्वारा युक्तियुक्त संदेहों से परे साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है, ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण को निर्दोष पाकर दोषमुक्त किया जाए।

17. इसके विपरीत अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक बहस में यह कहा गया कि प्राथमिकी के समर्थन में अभियोजन ने कुल 08 साक्षियों का परीक्षण भी कराया गया है जिन्होंने घटना का समर्थन किया है, ऐसी स्थिति में अभियोजन अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाये गये आरोपों को सिद्ध करने में सफल रहा है और अभियुक्तगण दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

अवधारण प्रश्न पर विनिश्चय व उसका कारण
(Decision on points of determination & its reason)

18. इस विचारण का मुख्य अवधारण प्रश्न है कि क्या अभियोजन विचारित अभियुक्त के विरुद्ध लगाये गये आरोप को संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है या नहीं?

19. इस प्रश्न के न्यायसंगत विनिश्चय के लिए अभियोजन की ओर से अभिलेख पर लाये गये मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों सहित समस्त सामग्री के आधार पर तथ्यों का मूल्यांकन, साक्ष्य का मूल्यांकन, विधि का मूल्यांकन, प्राथमिकी में अभिकथित अभियोगों (तथ्यों) एवं अभियुक्त के विरुद्ध लगाये गये आरोपों के परिप्रेक्ष्य में किया जा रहा है।

20. सर्वप्रथम तथ्यों के मूल्यांकन हेतु प्राथमिकी का परिशीलन व विश्लेषण आवश्यक है। प्राथमिकी के अनुसार संक्षिप्त तथ्य यह है कि दिनांक 26.08.2022 को लगभग 01:00 बजे सचूक अपने खेत पर उपस्थित था, जहां नाली निर्माण को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ। इसी विवाद के क्रम में अभियुक्तगण चंद्रिका भगत, रितेश कुमार सिंह, सोनू कुमार सिंह एवं शैलेश कुमार सिंह एकजुट होकर लाठी एवं लोहे के रॉड से प्रहार किए, जिससे सूचक एवं उसके परिवार को चोटें आईं। इस संदर्भ में सूचक का साक्ष्य महत्वपूर्ण है, क्योंकि घटना के के प्रमुख साक्षी है, ने अपने मुख्य परीक्षण में घटना का समर्थन तो किया है, परंतु यह स्वीकार किया है कि घटना के समय धक्का–मुक्की हई थी और उसे कोई चोट नहीं लगा था। इस संबंध में थाने पर दिए गये आवेदन पर अपने हस्ताक्षर को प्रदर्श–**P1/PW3** के रूप में साबित किया है। साक्षी ने मुख्य परीक्षण में यह भी स्वीकार किया कि पुलिस के समक्ष उसका बयान दर्ज नहीं हुआ था। इसलिए अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर प्रति–परीक्षण किया गया, जिसमें उसने इस बात इंकार करते हुए यह कथन किया है कि अभियुक्तगण द्वारा मारपीट की गई थी, जिससे विदित होता है कि उसके कथनों में विरोधाभास पाया गया है। इसी प्रकार साक्षी संख्या–01, 02 एवं 04 अपने मुख्य परीक्षण में घटना के संबंध में इंकार करते हुए कथन किया है कि पुलिस के समक्ष उसका बयान नहीं हुआ था तथा इन्हें भी अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया। अभियोजन साक्षी संख्या–01, 02 और 04 को अभियोजन द्वारा प्रक्षद्रोही घोषित किया गया है, इसलिए, इनके साक्ष्य से अभियोजन पक्ष के मामले को कोई समर्थन प्राप्त नहीं हुआ है। इसी प्रकार अभियोजन साक्षी संख्या–05, 06 व 07 जो इस प्रकरण के अनुसंधानकर्ता है, के साक्ष्य से भी विदित होता है कि अनुसंधानकर्ता द्वारा अनुसंधान केवल केस डायरी एवं कागजात के आधार किया गया है तथा महत्वपूर्ण साक्षियों के बयान समय पर दर्ज नहीं किए गए तथा कोई भौतिक साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया गया। अभियोजन साक्षी संख्या–6 ने स्वीकार किया है कि उसे घटना के सूचना, बाद में प्राप्त हुई तथा उसने औपचारिकताओं के आधार आरोप–पत्र समर्पित किया है। अभियोजन साक्षी संख्या–7 ने भी केवल केस डायरी के आधार पर कार्यवाही का समर्थन किया है। इस प्रकार अनुसंधानकर्त्ता के अनुसंधान में त्रुटियां एवं कमियां परिलक्षित होती है। अभियोजन साक्षी संख्या–8 जो इस केस के चिकित्सक है, ने अपने मुख्य परीक्षा में सूचक सहित अन्य जख्मियों के रिपोर्ट के लिखावट एवं हस्ताक्षर को पहचान कर प्रदर्श क्रमशः P4/PW8, P5/PW8, P6/PW8 के रूप में साबित किया है। प्रति–परीक्षण में साक्षी ने कहा है कि ऐसी चोटें गिरने से भी हो सकती है। इस प्रकार सूचक सहित अन्य साक्षियों ने भी अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाए गये आरोप का समर्थन नहीं किया है, जिससे प्राथमिकी के समस्त तथ्य अभियोजन साबित करने में असफल रही है।

21. इस प्रकार सूचक सहित अभियोजन के सभी साक्षियों के साक्ष्य के परिशीलन व विश्लेषण से एवं अभिलेख पर उपलब्ध समस्त सामग्री, एवं मौखिक साक्ष्यों के विश्लेषण व विवेचना के आधार पर यह न्यायालय यह पाती है कि अभियोजन मात्र साबित करने में सफल रहा है कि सूचक ने अभियुक्तगण के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराया था, किन्तु प्राथमिकी के समस्त कथन (contents) को अभियोजन विचारित अभियुक्तगण के आरोप के परिप्रेक्ष्य में साबित नहीं कर सका। प्रथम सूचना रिपोर्ट को औपचारिक रूप से भी

अभियोजन द्वारा साबित नहीं किया गया। अभियोजन साक्षी के रूप में सूचक के साक्ष्य में अभियुक्तगण के विरूद्ध गाली–गलौज एवं उपहति कारित करके हत्या के प्रयास का कोई साक्ष्य नहीं आया है। डॉक्टर ने चिकित्सीय परीक्षण में अपने साक्ष्य में कहा है कि सभी चोटें साधारण प्रकृति के हैं तथा ऐसी चोटें गिरने से भी हो सकती है तथा ये सामान्य चोटें सामान्य परिस्थिति में मृत्यु का कारण नहीं बन सकता। अनुसंधानकर्ता का साक्ष्य मात्र संपोषक साक्ष्य है। इस प्रकार सूचक सहित समस्त अभियोजन साक्षियों ने अभियुक्तगण के विरूद्ध किसी आरोप का समर्थन नहीं किया है तथा अभियोजन अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाए गए आरोप को तर्कसंगत वं अकाट्य रूप से साबित करने में विफल रही है।

22. अभियोजन द्वारा इस विचारित अभियुक्तगण के विरुद्ध साबित किये गये समस्त तथ्यों का एवं अभिलेख पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों व सामग्री के आधार पर विधि का मूल्यांकन वं परीक्षण इस विचारित अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाये गये आरोप के संदर्भ में करने पर यह न्यायालय पाती है और विनिश्चय करती है कि अभिलेख पर विचारित अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपित आरोप धारा–307/34, 323/34, 341/34, 504/34, 506/34 भा.दं.वि. गठित करने वाले आवश्यक तत्व (Ingredients) इस विचारण में पूर्णतः अनुपस्थित (missing) है।

23. उपरोक्त विवेचना व विश्लेषण से तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर यह न्यायालय पाती (finds) है और विनिश्चय करती है कि अभियोजन विचारित अभियुक्तगण चंद्रिका भगत, रितेश भगत, सन्नू कुमार सिंह उर्फ सोनू कुमार सिंह एवं शैलेश कुमार सिंह के विरुद्ध लगाये गये आरोप/दोष धारा–307/34, 323/34, 341/34, 504/34, 506/34 भा.दं.वि. को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में (बुरी तरह) पूर्णतया असफल रहा है। अतएव यह न्यायालय विचारित अभियुक्तगण को भा.दं.सं. की धारा–307/34, 323/34, 341/34, 504/34, 506/34 भा.दं.वि. के आरोप का दोषी नहीं पाती है। इस न्यायालय ने समक्ष विचारित अभियुक्त को दोषमुक्त करने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं है।

आदेश

अतएव विचारित अभियुक्तगण चंद्रिका भगत, रितेश भगत, सन्नू कुमार सिंह उर्फ सोनू कुमार सिंह एवं शैलेश कुमार सिंह को भा.दं.सं. की धारा–307/34, 323/34, 341/34, 504/34, 506/34 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। चूंकि विचारित अभियक्तगण पूर्व से जमानत पर है इसलिए दोषमुक्त अभियुक्तगण एवं उसके जमानदारों को बंध–पत्र के दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

कार्यालय को आदेश दिया जाता है कि इस आदेश की प्रति जिला मजिस्ट्रेट को प्रेषित करे।

निर्णय खुले न्यायालय में उभय पक्ष के उपस्थिति में मेरे सील व हस्ताक्षर के साथ सुनाया गया।

लेखापित एवं शुद्धिकृत

(गीता गुप्ता)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
गोपालगंज।
12.03.2026

(गीता गुप्ता)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
गोपालगंज।
12.03.2026